भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

परिपत्र संख्या 46/2026/CIRCULAR NO. 46/2026

विषय: सेज़ इकाइयों के उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि के सत्यापन के संबंध में जारी परिपत्र संख्या 37/2026 दिनांक 09.09.2026 में आंशिक संशोधन – के संबंध में।

Sub.: Partial modification of Circular No. 37/2026 dated 09.09.2026 regarding verification of Date of Commencement of Production (DCP) of SEZ Units - reg.

सेज़ इकाइयों के उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि (DCP) के सत्यापन के संबंध में जारी परिपत्र संख्या 37/2026 दिनांक 09.09.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से अपनाई जाएगी:	In partial modification of **Circular No. 37/2026 dated 09.09.2026**, regarding verification of the Date of Commencement of Production (DCP) of SEZ Units, it is hereby directed that the following procedure shall be followed with immediate effect:
विकास आयुक्त कार्यालय का संबंधित अनुभाग, इकाई से सभी आवश्यक दस्तावेज एवं सूचनाएँ प्राप्त करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सत्यापन हेतु पूर्ण प्रकरण अभिलेख पर उपलब्ध हो।	The concerned Section of the Office of the Development Commissioner shall obtain all requisite documents and information from the Unit and ensure that the complete case is available on record for verification.
संबंधित अनुभाग प्रकरण को संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता, जहाँ लागू हो, सुनिश्चित करेगा:	The concerned Section shall ensure availability of the following documents, wherever applicable, before forwarding the case to the concerned Specified Officer:
1. इकाई में कार्यरत सभी कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर की सूची।	1. List of attendance register of all the staff working in the unit.
2. बिजली बिल एवं उसके भुगतान की रसीद की प्रति।	2. Copy of Electricity Bill and payment receipt.
3. इकाई द्वारा किए गए आयात एवं निर्यात का विवरण, अर्थात् बिल ऑफ एंट्री एवं शिपिंग बिल की प्रतियाँ।	3. Details of Imports and Exports carried out by the unit i.e. Copy of Bills of Entry & Shipping Bills.

4. आयात अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल एवं उपभोग्य सामग्रियों का विवरण।	4. Details of Capital goods, raw materials, consumables procured by way import and or from DTA.
5. विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़ द्वारा जारी/अनुमोदित अनुमोदन पत्र एवं वचनबद्धता पत्र की प्रतियाँ।	5. Copies of LOA/LUT issued/approved by the office of the Development Commissioner, SEEPZ.
6. उक्त विषय से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।	6. Any other documents having relevance on the captioned subject.
सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत, संबंधित अनुभाग पूर्ण प्रकरण को सभी संबंधित सहायक दस्तावेजों सहित ई-ऑफिस के माध्यम से संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी को उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि के सत्यापन एवं पुष्टि हेतु अग्रेषित करेगा।	Upon receipt of all requisite documents, the concerned Section shall forward the complete case, along with all relevant supporting documents, to the concerned Specified Officer through e-Office for verification and confirmation of the Date of Commencement of Production (DCP).
संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों एवं संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करेगा तथा जहाँ आवश्यक समझा जाए, वहाँ भौतिक सत्यापन भी करेगा। विनिर्दिष्ट अधिकारी विकास आयुक्त कार्यालय से पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की तिथि से दस (10) दिनों के भीतर उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि की पुष्टि करते हुए सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	The concerned Specified Officer shall verify the documents and relevant records, undertake physical verification wherever considered necessary, and **furnish the verification report confirming the Date of Commencement of Production (DCP) within ten (10) days from the date of receipt of the complete case from the Office of the Development Commissioner.**
तदनुसार, निर्धारित दस (10) दिनों की समय-सीमा की गणना संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पूर्ण प्रकरण प्राप्त किए जाने की तिथि से की जाएगी।	The prescribed period of ten (10) days shall accordingly be reckoned from the date of receipt of the complete case by the concerned Specified Officer.
संबंधित अनुभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त किए जाएँ तथा प्रकरणों को ई-ऑफिस के माध्यम से शीघ्रता से अग्रेषित किया जाए, ताकि सत्यापन एवं DCP/उत्पादन प्रारंभ प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।	The concerned Sections shall ensure timely collection of documents and forwarding of cases through e-Office to facilitate verification and issuance of the DCP/Commencement Certificate without avoidable delay.
परिपत्र संख्या 37/2026 दिनांक	All other provisions of Circular No. 37/2026 dated 09.09.2026 shall

09.09.2026 के अन्य सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।	remain unchanged.
यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।	This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

Digitally signed by
Mayur R Mankar
Date: 30-10-2026
11:07:32

(मयूर मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

F. No. SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/331/2011-12/10683 **Date:** 30**.10.2026**

प्रति:

1. All concerned Sections.
2. All Specified Officers under the jurisdiction of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.